कार्यालय पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

विभागाध्यक्ष कार्यालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर
दूरभाष नं. 2511920, फैक्स : 2511918 ईमेल– rcs.coop@nic.in

क्रमांक/पंजीयन/2014/4159 नया रायपुर, दिनांक :22/08/2014

प्रति,

1. संयुक्त पंजीयक (समस्त)
   सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़
2. उप पंजीयक
   सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

विषय :– मल्टीस्टेट को–ऑपरेटिव्ह सहकारी संस्थाओं का निरीक्षण धारा 108 MSCS Act 2002 बाबत्।

संदर्भ :– 1. भारत शासन कृषि एवं सहकारिता विभाग का परिपत्र क्रमांक/F No. R-11017/93/2013.L&M
2. भारत शासन कृषि एवं सहकारिता विभाग का परिपत्र क्रमांक/F No. L-11017/10/2013.L&M

––00––

भारत सरकार कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली (सेंट्रल रजिस्ट्रार को–ऑपरेटिव्ह सोसायटी) द्वारा MSCS Act 2002 के अंतर्गत सहकारी संस्थाओं का पंजीयन किया गया है। अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत् मल्टी स्टेट सहकारी संस्थाओं का निरीक्षण करने हेतु संभागीय संयुक्त पंजीयक, उप पंजीयक, सहायक पंजीयक एवं अंकेक्षण अधिकारियों को अधिकृत किया जाता है। उक्त अधिकारी निरीक्षण हेतु वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक/सहकारी निरीक्षक एवं उप अंकेक्षक का आवश्यक सहयोग ले सकेंगे। उक्त अधिकारी मल्टी स्टेट सहकारी संस्थाओं का समय–समय पर निरीक्षण कर मल्टी स्टेट को–ऑपरेटिव्ह एक्ट 2002 के वैधानिक प्रावधानों का पालन शाखाओं द्वारा किया जा रहा है या नहीं बाबत् स्पष्ट टीप देते हुए प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे ताकि सेंट्रल रजिस्ट्रार को अवगत कराया जा सके। निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूप प्रपत्र 01, 2(अ) एवं 02 (ब) में संलग्न हैं।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

20.8.14
(अविनाश चम्पावत)
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

पृ0क्रमांक/पंजीयन/2014/ नया रायपुर, दिनांक : /08/2014

प्रतिलिपि :–

1. सेंट्रल रजिस्ट्रार को–ऑपरेटिव्ह सोसायटी कृषि व सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, जिला .... (समस्त) की ओर सूचनार्थ।

पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

मल्टीस्टेट को–ऑपरेटिव्ह साख सहकारी समिति के अंतर्गत संचालित शाखाओं का निरीक्षण टीप

1 मल्टी स्टेट को–ऑपरेटिव्ह साख सहकारी समिति का नाम व पंजीकृत पता, टेलीफोन नंबर, ई–मेल नंबर –

2 पंजीयन क्रमांक / दिनांक –

3 कार्यक्षेत्र –

4 छ0ग0 राज्य में कार्यरत् शाखाओं का नाम, पता व कार्य प्रारंभ करने का दिनांक –

5
1. निर्वाचन दिनांक –
2. निर्वाचित पदाधिकारियों के नाम, पता, व्यवसाय व टेलीफोन नंबर –

6 सदस्य संख्या, हिस्सा पूंजी, सदस्यता पंजी हस्ताक्षर आदि का विवरण (इसमें छ0ग0 राज्य की सदस्यता की जानकारी पृथक से देवें) –

7 **रोकड़ बही** –

(छ0ग0 राज्य में संचालित शाखाओं का)

1. क्या रोकड़ बही रोज लिखी गई हैं और उस पर अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / अधिकृत प्राधिकारी के हस्ताक्षर है? –
2. क्या नगदी सिलक रोकड़ बही में बताई गई सिलक से मिलती है ? –
3. सिलक किसके पास हैं और कितने दिन से हैं ? क्या नगद सिलक रखने की सीमा निर्धारित हैं ? –
4. क्या रोकड़ में दर्ज आमद व खर्च का लेजर तातारीख तैयार किया गया है ? –
5. क्या सिलक एवं ट्रांजिट का बीमा कराया गया है ? –
6. क्या अन्य निर्धारित पंजिया संधारित किया गया है ? –

8 **अनिवार्य अमानत** –

1. सदस्यों से किस प्रकार अमानत प्राप्त किये गये हैं। –
2. सदस्यो से कितनी राषि प्रतिमाह अनिवार्य अमानत के रूप में जमा किया गया है ? –
3. अनिवार्य अमानत की राषि वर्षवार कितनी है ? –
4. अनिवार्य अमानत पर ब्याज की दर क्या है ? ब्याज की दर का निर्धारण किस आधार पर नियम / अधिनियम के प्रावधान –

अनुसार किया गया है? और क्या यह सही/उचित है ?
वर्ष में अमानत पर कितना ब्याज दिया गया ?

5. अनिवार्य अमानत वापस करने के क्या नियम है ? क्या अनिवार्य अमानत की रकम वापस की गई है ? –
6. क्या अनिवार्य अमानत का व्यक्तिगत खाता पूर्ण है, मिलान किया गया है ? –
7. गैर सदस्यों से अमानत लिया गया हो तो विवरण देवें। –
8. क्या नाम मात्र सदस्य अमानत लिया गया है, विवरण देवें ? –
9. संस्था अपनी प्रदत्त अंशपूंजी तथा रक्षित निधि में से संचित हानि को घटाने के पश्चात् बची राशि से अधिकतम दस गुना तक अमानत जमा, ऋण प्राप्त कर सकेगी। अमानत जमा, ऋण के संबंध में उक्त प्रावधान अनुसार टीप देवें। –

9 <u>ऋण वितरण एवं वसूली</u> –

1. क्या ऋण नियम सक्षम अधिकारी/सेंट्रल रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित है ? –
2. ऋण किस–किस उद्देश्यों के लिये दिया जाता है? वर्षांत पर कितना ऋण लेना शेष है ? –
3. ऋण सीमा, उद्देश्यवार कितनी–कितनी है ? क्या ऋण संचालक मंडल/सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत हैं ? –
4. क्या सदस्यों के ऋण वितरण में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है ? क्या गैर सदस्यों को ऋण दिया गया है एवं क्या गैर सदस्यों के जमानत पर कोई ऋण दिया गया है ? –
5. सदस्यों को स्वीकृत ऋण का बंधक (कव्हरेज) का उल्लेख कीजिये। –
6. संचालक मंडल, उनके रिश्तेदार एवं कर्मचारियों को प्रदाय किये गये ऋण/अग्रिम का विवरण दीजिये। –
7. क्या ऋण पंजी, ऋण वसूली पंजी तैयार किया गया है एवं उसका मिलान किया गया है ? –
8. ऋण की ब्याज दर क्या है, कैसे निर्धारित किया गया है ? –
9. कालातीत सदस्यों से दंड ब्याज वसूली का दर क्या है ? –
10. कालातीत राशि बढ़ने का क्या कारण है ? –
11. क्या किसी वित्तदायी संस्था से ऋण उधार ग्रहण किया गया –

है, संस्था का नाम व राशि तथा ब्याज दर का उल्लेख कीजिये।

2. सन्हाल के ऋण, मांग, वसूली तथा वसूली के प्रतिशत का उल्लेख कीजिये। –

10 संचालक मंडल एवं उपनियम के अनुसार की गई कमेटी की बैठकों की संख्या एवं उसमें पारित महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर टीप दीजिये। क्या बैठकें ठीक वक्त पर होती है ? बैंठकों में गणपूर्ति का विवरण दीजिये। –

11 1. संस्था की वार्षिक आमसभा कब होनी थी और संस्था ने कब आयोजित की ? गत 03 वर्ष की आमसभा का विवरण दीजिये। –

2. संस्था के वार्षिक आमसभा में पारित प्रस्तावों पर अपना अभिमत दीजिये। –

3. क्या शाखाओं का वार्षिक बजट आमसभा में स्वीकृत हैं ? क्या आय/व्यय बजट के अंतर्गत हैं ? –

12 संस्था में कार्यरत् कर्मचारियों के नाम, पदवार संख्या, नियुक्ति दिनांक दीजिये। –

क्या नियुक्ति सेंट्रल रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित सेवानियम, स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार है, विवरण दीजिये? –

1. कार्यरत् कर्मचारियों का विवरण –

क्रं.	कर्मचारी का नाम/उम्र	पदनाम	नियुक्ति दिनांक	नियुक्ति का मापदंड	वेतन	पदस्थी स्थान	प्राप्त जमानत राशि	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2. क्या संस्था के कर्मचारी संचालक मंडल के सदस्यों के रिश्तेदार हैं ? यदि हां तो विवरण देवें। –

13 <u>विनियोग</u> –

1. किन–किन संस्थाओं में कितना–कितना विनियोग किया गया है। –

2. क्या विनियोग MSCS Act 2002 के धारा 64 के प्रावधानों के अनुरूप हैं। –

–

3. क्या विनियोग का प्रमाण पत्र संस्था में उपलब्ध है ? –

क्या निधियों का निर्माण नियमानुसार किया गया है एवं उसका विनियोजन कहाॅ किया गया है ?

14 लाभ–हानि की स्थिति –

1. संस्था की शाखा का अंकेक्षण कब तक पूर्ण हैं। क्या पिछले अंकेक्षण में लिये गये आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया हैं ? स्थापना एवं प्रबंधकीय व्यय का उल्लेख कीजिये। –
2. संस्था की शाखा द्वारा सन्हाल में शुद्ध लाभ/हानि कितना अर्जित किया गया है, उल्लेख कीजिये। –
3. संस्था की शाखा के आर्थिक स्थिति पर टीप देवें।
4. क्या विभाग द्वारा निर्धारित रिटर्न, विवरणीयाॅ एवं अन्य जानकारी निर्धारित समय में भेजी गई हैं ? – –
5. क्या केन्द्रीय पंजीयक को संस्था की शाखा द्वारा अधिनियम के प्रावधानों तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के अंतर्गत समय पर जानकारी भेजी गई है ? प्रेषित विवरणीयों पर परीक्षण, टीप देवें। –

15 1. क्या संस्था की शाखा के पास स्वयं का भवन है ? किराये पर हो तो विवरण दीजिये। –
2. डेड स्टॉक/मृत स्कंध की सम्पत्तियों का विवरण दीजिये। –
3. संस्था की शाखा द्वारा साख के अतिरिक्त क्या अन्य कोई और कार्य किया जा रहा है, विवरण दीजिये? क्या वह उपविधि के अनुरूप हैं ? –

16 3. संस्था के वित्तीय पत्रक एवं अन्य आवश्यक जानकारी संलग्न कीजिये। –
4. संस्था की छ0ग0 राज्य में कार्यरत् शाखाओं का वित्तीय पत्रक एवं अन्य आवष्यक जानकारी पृथक–पृथक संलग्न करें। –
5. अन्य जानकारी यदि आवश्यक हो, उल्लेख कीजिये। –

17 क्या अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार शाखा का अंकेक्षण तातारीख पूर्ण हैं तथा नगद एवं अन्य का भौतिक सत्यापन का कार्य पूर्ण कराया गया है ? –

स्थान :

दिनांक :

निरीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर
पदनाम सहित

प्रपत्र – 02 (अ)

क्रं.	सदस्यता क्रमांक	अमानत जमाकर्ता का नाम व पता	राशि	जमा दिनांक	ब्याज दर	परिपक्वता अवधि	परिपक्वता राशि	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								

प्रपत्र – 02 (ब)

क्रं.	सदस्यता क्रमांक	ऋणी सदस्य का नाम	पता	ऋण की राशि	ऋण का उद्देश्य	ब्याज दर	किश्त की राशि	यदि किश्त की राशि जमा न की गई हो तो कालातीत राशि	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									